लोक शिक्षण संचालनालय, मध्यप्रदेश
गौतम नगर, भोपाल

दूरभाष: 0755–2583650, फैक्स: 2583651, ई–मेल: coord-dpi@mp.gov.in

क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 933 भोपाल, दिनांक 6/12/2018

प्रति,

1. समस्त संभागीय संयुक्त संचालक
   लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
2. समस्त जिला शिक्षा अधिकारी
   म0प्र0।
3. समस्त नोडल प्राचार्य,शा0उ0मा0वि0,विकासखंड मुख्यालय
   म0प्र0।

विषयः–वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग दिनांक 12.11.2018 का कार्यवाही विवरण।

दिनांक 12.11.2018 को आयोजित वीडियो कॉन्फ्रेन्सिंग का कार्यवाही विवरण संलग्न कर आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

संलग्नः– उपरोक्तानुसार

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश
भोपाल, दिनांक 6/12/2018

पृष्ठा0क्रमांक / समन्वय / बी / 2018 / 934
प्रतिलिपिः–

1. विशेष सहायक माननीय मंत्रीजी / राज्य मंत्रीजी स्कूल शिक्षा मंत्रालय भोपाल।
2. प्रमुख सचिव, म.प्र. शासन, स्कूल शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. आयुक्त, राज्य शिक्षा केन्द्र, म.प्र. भोपाल।
4. वरिष्ठ निज सहायक, आयुक्त लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
5. समस्त कलेक्टर मध्यप्रदेश।
6. वरिष्ठ निज सहायक, अपर परियोजना संचालक (आरएमएसए) स्थानीय।
7. वरिष्ठ निज सहायक, संचालक प्रशासन लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।
8. निज सहायक, अपर संचालक लोक शिक्षण म.प्र.।
9. संबंधित अधिकारीगण लोक शिक्षण मध्यप्रदेश।

संचालक
लोक शिक्षण, मध्यप्रदेश

वीडियो कान्फ्रेन्सिंग दिनांक 12.11.2018 का कार्यवाही विवरण

दिनांक 12.11.2018 को वल्लभ भवन भोपाल के वीडियो कान्फ्रेन्सिंग हॉल कमांक 66 में सायं 04.00 बजे से आयुक्त महोदया की अध्यक्षता में वीडियो कान्फ्रेन्सिंग का आयोजन किया गया । वीडियो कान्फ्रेसिंग में संचालनालय के अधिकरी एवं मैदानी स्तर के विभागीय जिला अधिकारी उपस्थित थे।

सर्वप्रथम उपसंचालक समन्वय द्वारा संभागीय संयुक्त संचालक एवं समस्त जिले के जिला शिक्षा अधिकारियो की उपस्थिति ली गई ।

अध्यापकों की अंशदायी पेंशन योजना – संयुक्त संचालक शिक्षाकर्मी द्वारा NSDL की समीक्षा की गई एवं निम्नानुसार निर्देशित किया गया–

- संयुक्त संचालक द्वारा सभी जिलो के जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित करते हुए कहा कि अध्यापक संवर्ग का अंशदायी पेशन योजना का जो पैसा आप ट्रेजरी से आहरित कर रहे हैं उसके अनुपात में चालान आपके द्वारा नहीं भेजे जा रहे हैं, राशि आहरित कर लंबे समय तक अकाउण्ट में रखना आपकी कार्य के प्रति उदासीनता प्रदर्शित करता है, विलम्ब के लिये आप स्वयं जिम्मेदार होगे।
- जिन जिलों ने दो या अधिक महीने के चालान नहीं भेजे हैं उन जिलो के लिए अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि तत्काल चालान जमा करे।
- छतरपुर जिले द्वारा आवश्यकता से अधिक लगभग 4 करोड की राशि आहरण कर ली गई है । सभी जिलो को इस कार्य को सतर्कता और गंभीरता से करने हेतु निर्देश दिये गये। जिला शिक्षा अधिकारी छतरपुर गंभीरता से उक्त आहरण की समीक्षा कर अवगत करायें।
- सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देशित किया गया कि अशदायी पेंशन योजना के संबंध में निर्धारित प्रपत्र में जानकारी भेजे तथा पेंशन का पैसा आहरित होने के उपरांत तत्काल चलान से भेजे। विलम्ब की स्थिति में यदि किसी अध्यापक द्वारा ब्याज की मांग की जाती है तो उत्तरदायित्व निर्धारित कर कार्यवाही की जायेगी।

रेमेडियल टीचिंग :–

- अपर संचालक सुश्री कामना आचार्य द्वारा समस्त जिला शिक्षा अधिकारियों से आग्रह किया गया कि रेमेडियल टीचिंग का जो समय है उसका उपयोग करें । बच्चों को जो पढाया जाना है उसके लिए इस बार आपके पूरा मटेरियल तैयार करके दिया है । आप लोगो से अपेक्षा की गई थी कि आप उस मटेरियल द्वारा पहले टीचर्स की ट्रेनिंग करवा दें ।

- अपर संचालक द्वारा अप्रसन्नता व्यक्त करते हुए कहा कि 1.11.18 एवं 3.11.18 को बैठक में कमिश्नर महोदया के निर्देश थे कि टेनिंग की प्रविष्टि कि जानी है लेकिन खेदजनक है कि अधिकांश जिलों ने इसमें कोई कार्यवाही नहीं की । जिन जिलों ने इसकी प्रविष्टि ही नहीं की है वे जिले इस प्रकार हैं आगर, बडवानी छिंदवाडा, होशंगाबाद, जबलपुर, सीधी मुरैना. पन्ना और भिण्ड ।
- रेमेडियल टीचिंग हेतु विशेष रूप से ध्यान देने हेतु निर्देशित किया गया कि यदि आप इसको गंभीरता से लेंगे तो निश्चित ही आपके जिले का रिजल्ट में सुधार होगा ।

विधि प्रकरणों की समीक्षाः—

- श्री त्रिपाठी सहायक संचालक द्वारा न्यायलीन प्रकरणों की समीक्षा करते हुए बताया गया कि न्यायलीन प्रकरणों में रिप्लाई फाइल नहीं हो रहा है । जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारी द्वारा बंगाली शिशु विद्यापीठ के प्रकरण में एस एल पी का जवाब आज तक फाईल नहीं किया है. इसे शीघ्र फाईल किया जाय। मनमोहन नापित के अवमान्ना प्रकरण में शीघ्र जिला शिक्षा अधिकारी सीधी जवाब फाईल करें, इस प्रकरण में शासन द्वारा एन ओ सी जारी की जा चुकी है।
- सभी जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा गया कि एक्ट में कही भी उपादान देने का प्रावधान नहीं है । यदि उपादान से संबंधित कोई भी पिटीशन हाईकोर्ट ग्वालियर इन्दौर या जबलपुर में फाइल होती है तो मुझसे सपर्क करके रिप्लाइं फाइल करें । ऐसे केस को जबलपुर ट्रांसफर करने का प्रयास करेंगे । अतिरिक्त एडवोकेट जनरल श्री समदर्शी तिवारी जी इसको डिफेन्ड करेंगे । इस पॉलिसी मेंटर में जिला शिक्षा अधिकारियों से कहा कि अपनी ओर से कोई रिप्लाई फाइल न करें । यदि आपका रिप्लाई फाइल नहीं हुआ है उसका नंबर भेज दे कोशिश करेंगे कि उसे जबलपुर हाईकोर्ट में स्थानांतरित करने का प्रयास करगे।
- यदि एस एल पी का प्रकरण आता है तो उसे तत्काल संज्ञान में लाएं । आयुक्त महोदय के निर्देश है कि संयुक्त संचालक विधि प्रकोष्ठ इन्दौर, ग्वालियर और जबलपुर जिला शिक्षा अधिकारियों को भरपूर सहयोग करें ।
- जिला शिक्षा अधिकारी सतना को अवमान्ना प्रकरण 468/14 के संबंध में बताया कि यह प्रकरण बहुत महत्वपूर्ण है । इसमें अवमानना 468/14 है इसमें आपकी ओर से बहुत बडी लापरवाही हुई है । यदि इसे आप डिसाइड नहीं कर पाते है तो इसकी एकल नस्ती एक दिन में भेज दें ताकि इसमें जवाब प्रस्तुत करने की कार्यवाही संभव हो सके।
- अन्य बात यह है कि गर्वमेंट एडवोकेट द्वारा शिकायते आ रही है कि जिला शिक्षा अधिकारी सिंगरौली की ओर से भुगतान नहीं किया जा रहा है । इस संबंध में सभी जिला शिक्षा

अधिकारियों से कहा कि यदि धनराशि आपके पास उपलब्ध नहीं है तो आप इसकी डिमांड कर सकते हैं । मांग अनुसार आपको आवश्यक धनराशि आपको तत्काल दे दी जाएगी किन्तु किसी गर्वमेंट एडवोकेट की शिकायत यहॉ नहीं आनी चाहिए । इससे विभाग की छवि खराब होती है ।

- जिला शिक्षा अधिकारी बालाघाट के संबंध में अवमानना प्रकरण 1628/18 है । ये एक पॉलिसी मेटर है । जिसमें नोडल अधिकारी श्री अरविंद चौरगडे को बनाया गया है । उनके द्वारा ही ये रिप्लाई फाइल होगा।
- रिकवरी के प्रकरण भी आ रहे हैं । वित्त विभाग का परिपत्र 18 जनवरी 2018 को जारी हुआ था । ये सारे विधि प्रभारियों को उपलब्ध कराया गया है । जिन केसों में रिट अपील करना है उनका प्रपोजल संचालनालय भिजवा दें । ताकि अप्रिय स्थिति निर्मित न हो ।
- क्रमोन्नति के प्रकरण में नियमित वेतन में अवमानना के प्रकरण क्यों आ रहे हैं जबकि शासन ने इसमें पहले निर्णय ले लिया था तो आयुक्त महोदय का कहना यह है कि अगर इस तरह के केसेस जिसमें शासन निर्णय ले चुका है वो क्लियर होते हैं तो संबंधित के विरूद्ध वसूली की कार्यवाही करेंगे । अतः इस तरह के केस आपके जिले में उदभूत नहीं होने चाहिए ।
- यदि अवमानना के प्रकरणों में कोई दिक्कत होती है तो उसकी एकल नस्ती भेज दें ताकि समय सीमा में उनका निराकरण किया जा सके । वर्तमान में यूजर आई डी का उपयोग कीजिए और देखिए कि कितने प्रकरण फाइल हो रहे है अनुरोध यह है कि यदि हार्डकॉपी नहीं मिल पाती है तो सॉफट कॉपी डाउनलोड करके देख लें कि इश्यु क्या है । ताकि कोई अप्रिय स्थिति न बने । जैसे जिला शिक्षा अधिकारी खण्डवा में खण्डवा वाले केसेस में WP में ही प्रमुख सचिव महोदया को शपथ पत्र देना पड रहा है । सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को निर्देश दिए गये कि न्यायलयीन प्रकरणों में समय पर रिट अपील,अवमानना प्रकरणों में पालन प्रतिवेदन तथा याचिकाओं में समय पर कार्यवाही हो जाना चाहिये।

निः शुल्क साइकिल प्रदाय योजना :–

- अपर संचालक कामना आचार्य ने साइकिल वितरण की समीक्षा करते हुए कहा कि जो साइकिल एजेंसी से आपके पास पहुँच रहीं है उन्हें आपको प्राप्त करना है । शिकायतें ये आ रही है कि आप लोग साइकिल रिसीव नहीं कर रहे है । इसके लिए आपको पूर्व में ही निर्देश दिए जा चुके हैं कि ऐजेन्सी से साइकिलें प्राप्त करनी है परन्तु इसका वितरण मतदान दिवस की समाप्ति के बाद किया जायेगा साथ ही Verification के लिए जो निर्देश दिए गये थे । उसे पूरा नहीं किया गया है । यदि आप Verification नहीं करेंगे तो साइकिल का वितरण कैसे संभव होगा ? गुना 15% रतलाम 10%जबलपुर 6% शहडोल 6% ग्वालियर 10% शेष है ।

- सभी जिला शिक्षा अधिकारियों को समय पर Verification करने हेतु निर्देश दिए ताकि मतदान के बाद साइकिलों का वितरण किया जा सके ।

अनुदान प्राप्त शालाओं के संबंध में :–

- उप संचालक समन्वय द्वारा अनुदान प्राप्त शालाओं के संबंध में जानकारी चाही गई थी कि उक्त शालाओं में कितने चतुर्थ श्रेणी के लोकसेवक कार्यरत है एवं उनका वर्तमान वेतनमान तथा वेतन क्या है, संलग्न प्रपत्र में जानकारी कृपया तत्काल अनुदान कक्ष के मेल पर भेजे।

समीक्षा उपरांत धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गई ।

संचालक
लोक शिक्षण संचालनालय,
म.प्र. भोपाल